-1-

151

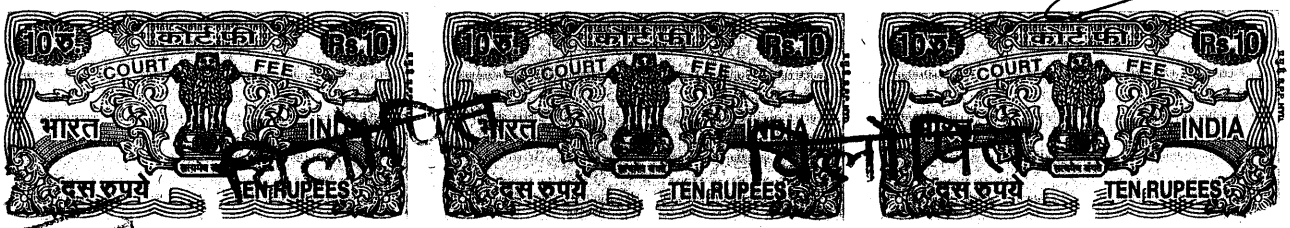

A 192-II-17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक –दो/2017 अपील

(1) बूँदा पत्नि हरदास

(2) शीलावाई पुत्री भूरा

सभी निवासी ग्राम खडेला

तहसील बदरवास

जिला शिवपुरी

---अपीलांट्स

विरूद्ध

म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर, शिवपुरी

---रिस्पाण्डेन्ट

(अपील अंतर्गत धारा धारा 44, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत – श्रीमान अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 607/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–11–2016 के विरूद्ध)

कृ0पृ030–2

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

अपील प्रकरण कमांक 192 –दो/2017 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह
16-1-17	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 607/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–11–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर आवेदकगण एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण एंव शासन के पैनल लायर के के प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव निगरानी मेमो के तथ्यों अनुसार प्रकरण की वस्तुस्थिति यह है कि आवेदकगण ने अनु0 जनजाति वर्ग का होने से उसके स्वामित्व की पिता से विरासत में प्राप्त ग्राम जारिया की भूमि सर्वे कमांक 559 एंव 569 कुल किता 2 कुल रकबा 2.00 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) को विकय करने का अनुमति आवेदन कलेक्टर शिवपुरी को प्रस्तुत किया, जिसे कलेक्टर जिला शिवपुरी ने प्रकरण कमांक 88 / 2008–09 अ–21 में पारित आदेश दिनांक 6–9–11 से प्रकरण निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने प्रथम अपील अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त न प्रकरण कमांक 607/2012–13 अपील में पारित	

आदेश दिनांक 30-11-2016 से अपील निरस्त कर दी, इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह है कि अभिलेख अनुसार वादग्रस्त भूमि आवेदकगण के पिता स्वर्गीय भूरा नाम पर थी, जो भूरा के स्वर्गवास के वाद आवेदकगण के नाम नामांत्रित हुई है।यह भूमि आवेदकगण के पिता को 40-45 वर्ष पूर्व पटटे पर प्राप्त हुई थी, जो विरासत में आवेदकगण को प्राप्त है, वर्तमान में नामान्तरण के व्दारा आवेदकगण के नाम चालू खसरे में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है । विचार योग्य है कि क्या ऐसे भूमिस्वामी, जिसके पिता को वादग्रस्त भूमि 40-50 वर्ष पूर्व पटटे पर प्राप्त होना एंव आवेदकगण को विरासत में प्राप्त होना प्रमाणित है , भूमि विकय कर सकते हैं । ऐसे भूमिस्वामी को भूमि के प्रत्येक प्रकार के उपभोग के लिये स्वतंत्र माना गया है ।

1. फुल्ला विरूद्ध नरेन्द्र सिंह तथा अन्य 2012 रा0नि0 256 (उच्च न्यायालय) का न्यायिक दृष्टांत है कि म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7-ख) तथा 158(3) का लागू होना - उपबंधों के अंतःस्थापन से पूर्व पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये - बिना अनुमति भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया- उपबंध आकर्षित नहीं होते । भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।

2. (1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरूद्ध म0प्र0 राज्य तथा अन्य एक 2013 रा0नि0 8(उच्च न्यायालय) का दृष्टांत है कि म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7-ख) तथा 158(3) का लागू होना - उपबंधों के अंतःस्थापन के पूर्व का पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार दिये गये - बिना अनुमति के भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया-उपबंध आकर्षित नहीं होते।

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....
अपील प्रकरण कमांक 192–दो/2017 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह

3. कैलाश तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0राज्य 2005 रा0नि0 66 में व्यवस्था दी गई है कि आवंन्टन में प्राप्त की गई भूमि का विकय, आवंटन दिनांक से 10 वर्ष के भीतर नहीं किया जा सकता। इसका आशय यही है कि पटटे की शर्तो का पालन करते हुये 10 वर्ष निरन्तर खेती की गई, ऐसा पटटाधारी 10 वर्ष उपरांत भूमिस्वामी होने से भूमि का विकय कर सकता है।

स्पष्ट है कि आवेदकगण को वादग्रस्त भूमि विकय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 88/2008–09 अ–21 में पारित आदेश दिनांक 6–9–11 एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 607/12–13 अपील में पारित आदेश दि. 30–11–2017 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एंव आवेदकगण को उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम जारिया की भूमि स.क. 559 एंव 569 कुल किता 2 कुल रकबा 2.00 हैक्टर के विकय की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है

1. वादग्रस्त भूमि का कय–विकय इस आदेश के पारित होने के दिनांक से तीन माह के भीतर कराना अनिवार्य होगा – अन्यथा यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जावेगा।
2. वादग्रस्त भूमि का विकय पत्र संपादित होने के दिन उप पंजीयक सत्यापन कर लेंगे कि कय–विकय धन की अदायगी वर्तमान में शासन व्दारा निर्धारित गाईड लायन के मान से एंव शासन के वर्तमान विकय नियमों के अधीन हो रहा है ।
3. केता व्दारा विकय फल की राशि/अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके शासन के वर्तमान कय–विकय हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप अदा की जावेगी।

सदस्य